

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)


सरकार ..... बनाम ..... खैराती

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-29 सन्-2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-29/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
27.12.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम एदलपुर भूमि ख0न0 612 रकबा 0.02 है0 किस्म चारागाह पर गैरसायल खैराती पुत्र भोलाराम जाति बैरवा निवासी एदलपुर द्वारा चार दीवारी व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैरसायल द्वारा नोटिस के जवाब में अतिक्रमण किया जाना स्वीकार कर अतिक्रमण हटाने पर सहमति दी।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लेगान दर 0.88 रुपये का 50 गुणा 44 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखल वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद लकमील पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

रा0 लं0 रा0 4 वर्ष-2078 की  
पू0 सं0-16-पर-44 रु 00  
मांग कायम की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

  
तहसीलदार  
तहसील मण्डावर (दौसा)